

**न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)****पीठासीन अधिकारी - कपूर शंकर मान (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या <b>076/2010</b> (RCMS 2010/00028)	दायर दिनांक <b>15.06.2010</b>	निर्णय दिनांक <b>27.05.2019</b>
---	----------------------------------	------------------------------------

**अनवान**

किशनसिंह गोद पुत्र तख्तसिंह राजपूत आयु वयस्क 32 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

**वादी****बनाम**

1. श्री भैरुसिंह पिता दातारसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
2. श्री समरजीतसिंह मलिक पिता सुखबीरसिंह मलिक निवासी सहबिलबिलान तहसील गोठाना जिला सोनीपत (हरियाणा)
3. श्री अमरजीतसिंह मलिक पिता सुखबीरसिंह मलिक निवासी सहबिलबिलान तहसील गोठाना जिला सोनीपत (हरियाणा)
4. श्री जयप्रकाशसिंह मलिक पिता सुखबीरसिंह मलिक आयु वयस्क निवासी सहबिलबिलान तहसील गोठाना जिला सोनीपत (हरियाणा)
5. तहसीलदार तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रतिवादीगण**

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री रोशन शर्मा अधिवक्ता वादी।  
अधिवक्ता श्री विनोद आचार्य अधिवक्ता प्रतिवादी

**--: अन्तर्गत धारा 88, 188 बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा रा0टि0एक्ट :-**

**निर्णय**

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता स्व0 ठाकुर तख्तसिंहजी राजपूत एवं माताजी श्रीमती गोविन्द कुंवर के खातेदारी एवं कब्जेयाबी की ग्राम पहुँना तहसील राशमी में 1303 बीघा 19 बिस्वा एवं 200 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित होने से वादी के पिता स्व0 ठाकुर तख्तसिंहजी के विरुद्ध पुराने सिलिंग अधिनियम के तहत एस.डी.ओ. कपासन में सिलिंग कार्यवाही प्रकरण संख्या 16/67 के अन्तर्गत होकर प्रकरण का निर्णय दिनांक 05.04.71 को हुआ। इस निर्णय को राज्य सरकार ने नवीन सिलिंग अधिनियम, 1973 की धारा 15(2) के अन्तर्गत कार्यवाही कर निरस्त कर प्रकरण में स्व0 ठाकुर तख्तसिंहजी द्वारा ग्राम पहुँना में स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 762/1 रकबा 476 बीघा 4 बिस्वा में से 9 व्यक्तियों को 13.12.63 को 235 बीघा भूमि के किये गये हस्तान्तरण के



संबंध में पुनः कार्यवाही करने के आदेश पारित किये। कि वादी के पिता स्व० ठाकुर तख्तसिंहजी राजपूत के खातेदारी, कब्जेयाबी में ग्राम पहुँना में खसरा नम्बर 762/1 रकबा 476 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके नवीन भू-माप में खसरा नम्बर 399 क्षेत्रफल 637 बीघा 7 बिस्वा स्थित है। वादी के पिता स्व० ठाकुर तख्तसिंहजी राजपूत द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को ग्राम पहुँना में स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 762/1 में से 50 बीघा भूमि बेनामी तौर पर पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 13.12.63 के माध्यम से 3000 रूपये में विक्रय की थी। वादी के स्व० पिता द्वारा उक्त कृषि भूमि का विक्रय बेनामी तौर पर अपने साले प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में बिना कोई प्रतिफल राशि प्राप्त किया गया था। विक्रय शुदा कृषि भूमि का कब्जा वादी के स्व० पिता तख्तसिंह के जीते जी उनके पास था, उनकी मृत्यु के उपरांत वादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। वर्ष 1963 में प्रतिवादी संख्या 1 नाबालिग होकर जयपुर निवास करता था जिससे स्व० ठाकुर तख्तसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा सिपुर्द किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उक्त कृषि भूमि वादी के स्व० पिता तख्तसिंह के कब्जे काशत में होने से इस कृषि भूमि के नामान्तरकरण की कोई कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर नहीं की गई। इस प्रकार से कृषि भूमि आराजी नम्बर 762/1 में से 50 बीघा भूमि का विक्रय विलेख पूर्णरूप से बेनामी होने से प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक, स्वत्व, अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रतिवादी संख्या 1 ने रेवेन्यू अधिकारियों से मिलकर ग्राम पहुँना में स्थित आराजी संख्या 762/1 में से 50 बीघा भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 399/5 है का नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवा लिया है। विवादित कृषि भूमि सिलिंग से प्रभावित होने, विवादित कृषि भूमि का विक्रय विलेख बेनाम होने से विधि के अनुसार उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण रेवेन्यू अधिकारी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर खोलने का कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। रेवेन्यू अधिकारियों ने न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना कर वादी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर कृषि भूमि आराजी संख्या 399/5 रकबा 50 बीघा वर्तमान क्षेत्रफल 66 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की है जो नामान्तरकरण विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। राज्य सरकार द्वारा वादी के पिता स्व० तख्तसिंह के विरुद्ध प्रकरण संख्या 16/67 सिलिंग प्रकरण में पुनः कार्यवाही किये जाने हेतु अतिरिक्त कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ को आदेश पारित किये। अति० कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ ने वादी के पिता तख्तसिंह के विरुद्ध सिलिंग प्रकरण संख्या 08/85 दर्ज कर इस प्रकरण में स्व० तख्तसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष



में ग्राम पहुँना में स्थित आराजी नम्बर 762/1 रकबा 50 बीघा भूमि के विक्रय विलेख के संबंध में पूर्ण जांच कर विक्रय विलेख दिनांक 13.12.63 खातेदार तख्तसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 रिश्तेदार साले अवयस्क व्यक्ति के पक्ष में प्रतिफल रहित होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 का कृषि भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने एवं विक्रय विलेख को सिलिंग कार्यवाही से बचने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 को किया जाना मानकर विक्रय विलेख दिनांक 13.12.63 को मान्यता प्रदान नहीं की। पारित सिलिंग प्रकरण 08/85 निर्णय दिनांक 06.02.93 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष का विक्रय विलेख दिनांक 13.12.63 बेनामी प्रतिफल रहित होने से प्रतिवादी संख्या 1 को आराजी नम्बर 762/1 रकबा 50 बीघा में किसी प्रकार का हक, स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। अतः बेनामी विक्रय विलेख के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण प्रथमतः शून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ने ग्राम पहुँना में स्थित कृषि भूमि आराजी नम्बर 762/1 नवीन आराजी नम्बर 399/5 रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा का नामान्तरकरण अपने नाम पर रेवेन्यू अधिकारियों से मिलकर करा लिया जबकि विवादित कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है। सिलिंग प्रभावित भूमि का नामान्तरकरण करने का कोई अधिकार रेवेन्यू अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को नहीं है। विवादित कृषि भूमि का बेनामी विक्रय होने से प्रतिवादी संख्या 1 को कृषि भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित कृषि भूमि वादी के नाम पर दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने इन्कार कर वादी के अधिकारों को चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया अतः वादी आराजी नम्बर 762/1 वर्तमान आराजी नम्बर 399/5 रकबा 50 बीघा वर्तमान रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार काशतकार घोषित कराया जाना आवश्यक होने से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्राम पहुँना में स्थित कृषि भूमि आराजी नम्बर 762/1 वर्तमान आराजी नम्बर 399/5 रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा का विक्रय बेनामी होने से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विक्रय अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपर कलेक्टर चित्तौडगढ द्वारा उक्त भूमि को प्रकरण संख्या 8/85 में अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिनांक 06.02.93 को पारित किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त सिलिंग कार्यवाही की जानकारी अपने में निहित रखता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने राज्य सरकार को धोखा देने एवं वादी के खातेदारी कब्जेयाबी की कृषि भूमि को हडपने की दुर्भावना से कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम पर खातेदारी में होने का लाभ उठाकर सिलिंग प्रभावित भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को 8-8 लाख रूपया में पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 06.07.2007 के माध्यम से विक्रय कर दी है। तथा कथित विक्रय विलेख कानूनन शून्य



है। शून्य विक्रय विलेख से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वादी ने प्रतिवादीगण को विधि विपरित कृषि भूमि विक्रय नहीं किये जाने एवं नामान्तरकरण कार्यवाही नहीं करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने धमकी दी कि अभी तो कृषि भूमि का विक्रय ही की है जमीन पर कब्जा भी करूंगा। कृषि भूमि का नामान्तरकरण भी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के नाम पर कराउंगा, तुम्हारे में दम हो जो कर लो। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 कभी भी अपनी धमकी को अंजाम देकर कृषि भूमि पर कब्जा कर नामान्तरकरण अपने नाम पर रेवेन्यू अधिकारियों से मिलकर करा सकते है। अतः वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी ने ग्राम पहुँना में स्थित आराजी नम्बर 762 वर्तमान आराजी नम्बर 399/5 रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा में 12/13 हिस्से के भू-भाग को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से अवैधानिक रूप से विक्रय कर वादी के अधिकारों को चुनौती दी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को अवैधानिक रूप से कृत्य नहीं करने हेतु मौखिक रूप से एवं लिखित रूप से सूचना-पत्र के माध्यम से सूचित किया मगर प्रतिवादी ने बावजूद सूचना के इंकारी कर दी अतः बिनाय मुखास्मत दावा इन्कारी के दिनांक 24.07.2007 से पैदा हुई एवं हो रही है। अतः वादी की प्रार्थना है कि वादानुसार वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा की डिक्री प्रदान की जावें कि ग्राम पहुँना तहसील राशमी में स्थित आराजी नम्बर 762/1 वर्तमान आराजी नम्बर 399/5 रकबा 66 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रदान की जावें कि आराजी संख्या 762/1 वर्तमान आराजी नम्बर 399/5 रकबा 66 बीघा 5 बिस्वा में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे न करावें तथा विवादित आराजीयात के नामान्तरकरण कार्यवाही नहीं करे एवं करावें तथा रेवेन्यू रेकार्ड का यथावत स्थिति बनाये रखें।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 14.07.2008 को प्रतिवादीगण की और से जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में वाद वर्णित तथ्यों से इन्कार किया एवं बताया कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 स्वीकार नहीं। आराजी नम्बर 762/1 रकबा 476 बीघा 4 बिस्वा के वर्तमान आराजी नम्बर 399 रकबा 637 बीघा में से 235 बीघा भूमि पर 9 व्यक्तियों के हस्तान्तरण के संबंध में पुनः कार्यवाही के आदेश की जानकारी नहीं शेष कथन भी गलत होने से स्वीकार नहीं। वाद पत्र की कॉलम संख्या 2 गलत होने से स्वीकार नहीं आराजी नम्बर 762/1 रकबा 476



बीघा 4 बिस्वा के नये नम्बर अनुसार रकबा 637 बीघा 7 बिस्वा नहीं बनता है, आराजी नम्बर 399/1 प्रतिवादीगण के खातेदार अधिकार व कब्जेकाशत की है शेष कथन गलत होने से स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 3 गलत होने से स्वीकार नहीं। पुराने आराजी नम्बर 762/1 रकबा 476 बीघा 4 बिस्वा में से 50 बीघा भूमि प्रतिवादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय मूल्य तादादी राशि 3000/- रूपये अक्षरे तीन हजार रूपये नकद अदा कर खरीदी तब से प्रतिवादी भैरुसिंह का कब्जा काशत शान्तिपूर्वक चला आ रहा है जो विक्रय पत्र विधि सम्मत होकर बेनामी नहीं है। शेष कथन गलत होने से स्वीकार नहीं। वाद पत्र की कॉलम संख्या 4 गलत होने से स्वीकार नहीं बेनामी संव्यवहार करना गैर कानूनी है जिसके लिए अलग से विधि में प्रावधान बने हुए है दिनांक 13.12.63 को नाबालिग प्रतिवादी भैरुसिंह के पक्ष में किया गया विक्रय विलेख तीन हजार रूपये के बदले भूमि का हस्तान्तरण है तभी से विक्रेता का कब्जा काशत नहीं, नाबालिग होना बेनामी की कसौटी नहीं है। प्रतिवादी भैरुसिंह खातेदार काशतकार होकर समस्त हक अधिकार निहित है इसी आधार पर प्रतिवादी भैरुसिंह ने अपना हिस्सा दीगर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किया सह खातेदार चान्दी को पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः दावा चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी भैरुसिंह द्वारा विक्रय करने के बाद अब दीगर प्रतिवादीगण खातेदार काशतकार होकर काबिज होकर काशत कर रहे है। वादी रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को निरस्त कराने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद लाने के लिए स्वतंत्र है जब तक विक्रय विलेख निरस्त नहीं कराता है तब तक उक्त न्यायालय में वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। बेनाम संव्यवहार के बाद भूमि राजगामी हो जाती है वादी का तब भी कोई हक अधिकार नहीं। न ही कब्जा काशत ही है। शेष कथन गलत होने से स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 5 गलत होने से स्वीकार नहीं। वाद पत्र की कॉलम संख्या 6 गलत होने से स्वीकार नहीं। आराजी नम्बर 399/5 दिनांक 13.12.63 से प्रतिवादी भैरुसिंह के खातेदारी अधिकार व कब्जे काशत की है तथा दिनांक 06.07.2007 से दीगर प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार व कब्जे काशत की है। प्रतिवादीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर काशत कर रहे है राजस्व कर्मचारियों ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही नामान्तरकरण की विधि सम्मत कार्यवाही की व वर्ष 1963 के बाद कभी भी कब्जा वादी का नहीं रहा। बेनामी विक्रय विलेख का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादी भैरुसिंह तख्तसिंह का साला लगता है तथा क्षत्रिय समाज में बहिन व पुत्री के घर से बिना प्रतिफल कोई चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त नहीं करने की प्रथा है तथा वादगत आराजी तीन हजार रूपये के विक्रय प्रतिफल के



एवज में प्राप्त की तथा नकद राशि अदा की। शेष कथन गलत होने से स्वीकार नहीं। वाद पत्र की कॉलम संख्या 7 गलत होने से स्वीकार नहीं आराजी नम्बर 762/1 जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 399/1 को प्रतिवादी भैरुसिंह को रहन-बय हस्तान्तरण करने के पूरे अधिकार प्राप्त है। इसी आधार पर दिनांक 06.07.2007 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दीगर प्रतिवादीगण को विक्रय की तथा वर्तमान में इनका कब्जा काश्त है वादगत भूमि पर वादी को कोई हक अधिकार नहीं। न ही वादी का कब्जा ही रहा है। वादी को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी। शेष कथन गलत होने से स्वीकार नहीं। वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है न ही घोषणा कराने का अधिकारी है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 8 गलत होने से स्वीकार नहीं। वादी के पक्ष में कोई बिनाय वाद पैदा नहीं होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में विशेष कथन कर बताया किया कि बेनामी विक्रय विलेख निस्पादित करना कानूनन रूप से विधि विरुद्ध है इस बाबत् वर्ष 1988 में अलग से विधि में प्रावधान बनाये गये हैं जो भूतलक्षी रूप से प्रभावी है। तथा वर्ष 1963 के बाद वादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा बेनामी संव्यवहार से भूमि राजगामी ही होती है मान भी लिया जाय तब भी वादी का कोई हक अधिकार नहीं बनता है जबकि 13.12.63 का विक्रय विलेख प्रतिफल सहित है तथा क्षत्रिय समाज में बहिन व पुत्री के घर से बिना प्रतिफल के अदा किये अन्न व जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है तथा विक्रेता की पत्नि मु० गोविन्द कंवर क्रेता भैरुसिंह की बहिन है एवं यह प्रथा आज भी लागू है। अतः वाद पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें। वादपत्र एवं जवाबदावा अनुसार पत्रावली में दिनांक 08.09.2008 को निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आयावादी के पिता तख्तसिंह द्वारा प्रतिवादी-1 को पहुँना की भूमि आराजी संख्या 762/1 में से 50 बीघा भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 13.12.1963 द्वारा बेनामी तौर पर बिना प्रतिफल लिये बिना कब्जा दिये विक्रय किया गया।  
--- जिम्मे वादी।
2. आया वर्णित भूमि पर सदैव से ही वादी के पिता व उनके बाद वादी का कब्जा चला आ रहा है, एवं प्रतिवादी पक्ष का कभी कब्जा नहीं हुआ।  
--- जिम्मे वादी।
3. आया विक्रय विलेख के आधार पर प्रति-1 ने नामान्तरकरण खुलवाया जो विधि विरुद्ध होकर निरस्तनीय है।  
--- जिम्मे वादी।
4. आया अति० कलेक्टर ने सिलिंग प्रकरण संख्या 8/85 पर पारित निर्णय दिनांक 13.12.63 में विक्रय विलेख को सिलिंग कार्यवाही



से बचने के लिये किया जाना मानते हुए इस मान्यता प्रदान नहीं की इसलिये इसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण अवैध है एवं विक्रय विलेख बेनामी है।

--- जिम्मे वादी।

5. आया प्रतिवादी 1 द्वारा प्रतिवादी 2, 3, 4 को भूमि बेच दी गई और आया यह विक्रय विलेख भी कानूनन शून्य है।

--- जिम्मे वादी।

6. आया वादी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

--- जिम्मे वादी।

7. दादरसी

साक्ष्यवादी में वादी किशनसिंह मु0 तख्तसिंह जाति राजपूत का शपथ पत्र पेश हुआ जो कि PW-1 है। स्वतंत्र गवाह तुलसीराम पिता देवा जाति गाडरी निवासी पहुँना का शपथ पत्र पेश हुआ जो कि PW-2 है। स्वतंत्र गवाह किशन पिता केला जाति गाडरी निवासी पहुँना का शपथ पत्र पेश हुआ जो कि PW-3 है। वादी किशन सिंह द्वारा अपने बयानों से दस्तावेज प्रदर्शित कराये। मौजा पहुँना तहसील राशमी की जमाबंदी संवत् 2028-2031 की प्रमाणित प्रति पेश की जो कि प्रदर्श-1 है। विक्रयपत्र दिनांक 06.07.2007 जो कि प्रदर्श-1(क) है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के सिलिंग प्रकरण संख्या 08/1985 निर्णय दिनांक 06.02.1993 की प्रमाणित प्रति जो कि प्रदर्श-2 है। नोटिस दिनांक 24.07.2007 रजि.ए.डी द्वारा श्री नरेन्द्र नाहर अधिवक्ता वास्ते श्री भैरुसिंह पिता दातारसिंह राजपूत निवासी पहुँना वगैराह 5 कि प्रति पेश की जो कि प्रदर्श-3(क) है। जवाब नोटिस दिनांक 16.08.2007 रजि.ए.डी द्वारा श्री चम्पालाल जाट अधिवक्ता वास्ते श्री नरेन्द्रकुमार नाहर अधिवक्ता जो कि प्रदर्श-4(क) है। मौजा पहुँना की जमाबंदी संवत् 2061-2064 के खाता संख्या 638 जो कि प्रदर्श-5 है। मौजा पहुँना की जमाबंदी संवत् 2061-2064 के खाता संख्या 669 की पेश की जो कि प्रदर्श-6 है। प्रमाणित नकल मिलान खसरा संवत् 2022 मौजा पहुँना जो कि प्रदर्श-7 है। नकल नामान्तरकरण संख्या 2210 मौजा पहुँना की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जो कि प्रदर्श-8 है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्यवादी में प्रस्तुत गवाहान श्री किशनसिंह, तुलसीराम से जिरह की गई जो कि शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता वादी द्वारा और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से राईट-टू-रिवटल पर दिनांक 29.03.2012 को साक्ष्यवादी बंद की गई। लगान रसीदे तहसील राशमी श्री भैरुसिंह पिता दातारसिंह की पेश की जो कि प्रतिप्रदर्श-1 से प्रतिप्रदर्श-12 है। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं स्वतंत्र गवाह लहरूलाल



पिता रूपा खारोल निवासी पहुँना के शपथ पत्र पेश हुये जो कि क्रमशः DW-1, DW-2, DW-3 है। अधिवक्ता प्रतिवादी के द्वारा और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के निवेदन पर दिनांक 05.06.2013 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 28.05.2018 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलवाई गई। दिनांक 06.03.2019 को अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसकी प्रति अधिवक्ता वादी को दिलवाई गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि वादी के गोद पिता एवं माता के खातेदारी की एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि ग्राम व पटवार हल्का पहुँना में क्रमशः 1303 बीघा 19 बिस्वा एवं 200 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित होने से वादी के पिता स्व. ठाकुर तख्तसिंह के विरुद्ध पुराने सिलिंग अधिनियम के तहत एस. डी.ओ कपासन में सिलिंग कार्यवाही प्रकरण संख्या 16/67 के अन्तर्गत होकर निर्णय दिनांक 05.04.1971 को हुआ। इस निर्णय को राज्य सरकार के नवीन सिलिंग अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के अन्तर्गत कार्यवाही कर निरस्त कर प्रकरण में स्व. ठाकुर तख्तसिंहजी द्वारा ग्राम पहुँना में स्थित कृषि भूमि आराजी नम्बर 762/1 रकबा 476 बीघा 4 बिस्वा में से 9 व्यक्तियों को दिनांक 13.12.1963 को 235 बीघा भूमि के लिये गये हस्तान्तरण के संबंध में पुनः कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये। आराजी संख्या 762/1 रकबा 476 बीघा की प्रतिवादी संख्या 1 ने रेवेन्यू अधिकारियों से मिलकर ग्राम पहुँना में स्थित आराजी नम्बर 762/1 में से 50 बीघा भूमि का नामान्तरण अपने नाम खुलवाया जिनके अन्तर्गत वर्तमान आराजी संख्या 399/5 है। विवादित कृषि भूमि सिलिंग से प्रभावित होने तथा विक्रय विलेख बेनामी होने से विधि के अनुसार उक्त आराजियात का नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खोलने का रेवेन्यू अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खोलने का कोई अधिकार नहीं है। रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना की है। वादी को सुनवाई का पुरा अधिकार नहीं दिया गया। आराजी संख्या 399/5 का वर्तमान रकबा क्षेत्रफल 66 बीघा 10 बिस्वा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर है जो नामान्तरण विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। वादी के पिता तख्तसिंहजी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 16/67 सिलिंग कानून में पुनः कार्यवाही किया जाने हेतु अतिरिक्त कलेक्टर साहब चित्तौडगढ को आदेश पारित किये अतिरिक्त कलेक्टर साहब चित्तौडगढ द्वारा वादी के पिता तख्तसिंहजी के विरुद्ध सिलिंग प्रकरण 08/85 दर्ज कर इस प्रकरण में तख्तसिंहजी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पहुँना में आराजी संख्या



762/1 रकबा 50बीघा भूमि के विक्रय विलेख के संबंध में पूर्ण जांच कर विक्रय विलेख दिनांक 13.12.1963 खातेदार तख्तसिंहजी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 रिश्तेदार साले के लडके अवयस्क व्यक्ति के पक्ष में प्रतिफल रहित होने तथा प्रतिवादी भैरुसिंह का कृषि भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने एवं विक्रय विलेख को सिलिंग कार्यवाही से बचने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 भैरुसिंह को किया जाना मानकर विक्रय विलेख दिनांक 13.12.1963 को मान्यता नहीं है सिलिंग प्रकरण संख्या 8/85 निर्णय दिनांक 06.02.1993 के अनुसार प्रतिवादी भैरुसिंह के पक्ष का विक्रय विलेख दिनांक 13.12.1963 बेनामी प्रतिफल रहित होने से प्रतिवादी भैरुसिंह को आराजी संख्या 762/1 रकबा 50 बीघा में किसी प्रकार का हक-स्वत्व प्राप्त नहीं होता है क्रेता भैरुसिंह को जो विक्रय निष्पादित किया गया है उसमें पडौस कहीं भी अंकित नहीं किये गये हैं विक्रयनामों से यह साबित नहीं होता है कि बिकाव की गई जमीन की लोकेशन कहा पर है। अतः बेनामी विक्रय विलेख के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण शून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 भैरुसिंह द्वारा आराजी संख्या 762/2 नवीन आराजी संख्या 399/5 रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा का नामान्तरकरण रेवेन्यू अधिकारियों से मिलकर करा लिया है जबकि विवादित कृषि भूमि पर भैरुसिंह का कब्जा काशत नहीं रहा है सिलिंग प्रभावित भूमि का नामान्तरकरण करने का कोई अधिकार रेवेन्यू अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को नहीं है बेनामी विक्रय होने से विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है विवादित कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज कराने हेतु कहाँ तो प्रतिवादी ने इन्कारी कर वादी के अधिकारों को चुनौति देना प्रारम्भ कर दिया है वादी की आराजी संख्या 7652/2 वर्तमान आराजी संख्या 399/5 रकबा 50 बीघा वर्तमान रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा का खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। विक्रय विलेख बेनामी होने से भैरुसिंह को कोई विक्रय अधिकार प्राप्त नहीं होता है अपर कलेक्टर चित्तौडगढ द्वारा उक्त भूमि को प्रकरण संख्या 8/85 में अधिग्रहण किया जाने का आदेश दिनांक 06.02.93 को पारीत किया गया है प्रतिवादी संख्या 1 उक्त सिलिंग कार्यवाही अपने में निहित रखता है प्रतिवादी भैरुसिंह राज्य सरकार को धोखा देने व वादी खातेदारी कब्जेयाबी की कृषि भूमि को हडपने की दुरभावना से कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 4 को 8 लाख रूपया में पंजीकृत विक्रय विलेख 06.07.2007 के माध्यम से विक्रय कर दी है। तथाकथित विक्रय विलेख से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को विधि विरुद्ध कृषि भूमि का नामान्तरकरण भी प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 4 तक के नाम पर कराउंगा तुम्हारे में दम हो जो कर



लेना प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 4 तक कभी भी अपनी धमकी को अंजाम देकर कब्जा कर सकते हैं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजीयात को विक्रय कर वादी के अधिकारों को चुनौती दी है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अवैधानिक रूप से किये जा रहे मौखिक एवं लिखित रूप से सूचना-पत्र के रूप में सूचित किया है लेकिन प्रतिवादी ने बावजूद सूचना के इन्कारी कर दी है व बिनाया दावा दिनांक 14.07.2007 से पैदा होकर हर रोज जारी है। वादी वाद अनुसार ग्राम पहुँना तहसील राशमी स्थित आराजी संख्या 762/1 वर्तमान आराजी संख्या 399/5 रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध कब्जे काशत में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु व खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा दावे का विरोध किया है व बेनामी ट्रॉन्जेक्शन नहीं माना है व सद्भावी क्रेता होना प्रतिवादी द्वारा जाहिर किया गया है। तनकी संख्या 1 के पक्ष में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 भैरुसिंह विक्रेता तख्तसिंहजी के साले के पुत्र है एवं जयपुर का निवासी है इस प्रकार श्री भैरुसिंह के पिता दातारसिंह ने विक्रय राशि अदा नहीं की है इसमें क्रेता के बालिग होने पर संदेह पैदा होता है जो प्रकरण संख्या 8/85 सरकार बनाम तख्तसिंहजी के निर्णय की पेज संख्या 9 की कॉलम संख्या 1 में अंकन है। इस आधार पर दिनांक 13.12.63 को किया गया ट्रॉन्जेक्शन स्पष्ट जाहिर होता है वादी द्वारा जो दस्तावेज प्रकरण संख्या 8/85 पेश है जो कि प्रदर्श-5 है। तनकी संख्या 2 के पक्ष में निवेदन किया कि वादी की और से स्वयं वादी श्री किशनसिंहजी एवं उनके गवाह किशनलाल पिता केला गाडरी एवं तुलसीराम पिता देवाजी गाडरी के बयानों से बखूबी प्रमाणित है कि विवादित आराजीयात पर वादी के पिता एवं उनके बाद वादी का कब्जा काशत चला आ रहा है। तनकी संख्या 3 के पक्ष में निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 तख्तसिंह जी के साले का लडका है। आराजी संख्या 762/1 रकबा 50 बीघा हाल आराजी संख्या 399/5 रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा भूमि के विक्रय विलेख जो दिनांक 13.12.1963 को किया है के संबंध में पूर्ण जांच अनुसार भैरुसिंह प्रतिवादी व तख्तसिंह के रिश्ते से साला का लडका वक्त नामान्तरण अवयस्क था हस्तान्तरण बिना प्रतिफल तथा हस्तान्तरण खसरा भूमि पर कब्जा नहीं होने से सिलिंग कार्यवाही से बचने के लिए हस्तान्तरण किया जाना मानकर उक्त हस्तान्तरण को मान्यता प्रदान नहीं की गई है उक्त विक्रय विलेख के आधार पर खातेदारी शून्य है व प्रभावहीन है व बेअसर है उक्त निर्णय दिनांक 06.02.1993 को दिया गया प्रतिवादी ने राजस्व अधिकारियों से मिला भगती कर गलत खातेदार



हासिल कर ली है जबकि जमीन का मालिकाना हक वादी का है वादी के कब्जे में जमीन होकर वादी काशत कर रहा है। तनकी संख्या 4 के पक्ष में निवेदन किया कि वादी द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-5 जो सिलिंग से संबंधित विवादित आराजीयात का निर्णय है जिसमें उक्त तनकियात बखूबी प्रमाणित है तनकियात वादी की ओर से पूर्ण रूप से साबित है तथा तनकियात पर वादी की ओर से न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे(24)2017 प्रस्तुत किया गया। तनकी संख्या 5 के पक्ष में निवेदन किया कि उक्त तनकियात को वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय विलेख प्रदर्श-6 से विक्रय होना पूर्ण रूप से साबित है तथा विक्रय होना पूर्ण रूप से साबित है तथा विक्रय विलेख सिलिंग से प्रभावित जो शून्य है जिसके संदर्भ में वादी की ओर से सिलिंग निर्णय प्रदर्श-5 पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त तनकियात वादी की ओर से पूर्ण साबित होती है। तनकी संख्या 6 के पक्ष में निवेदन किया कि वादी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है क्योंकि यह विवादित आराजीयात वादी के पिता स्व. तख्तसिंहजी के खातेदारी व कब्जे काशत की रही है व उनके बाद वादी के कब्जे काशत में चली आ रही है उक्त आराजीयात बेनामी ट्रॉन्जेक्शन होने से वादी खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है व साथ ही वादी का विवादित जमीन पर कब्जा होने से वादी स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रतिवादीगण के खिलाफ प्राप्त करने का अधिकारी है वादी के व उनके गवाहान के बयान से बखूबी प्रमाणित है कि विवादित जमीन पर वादी का ही कब्जा काशत चला आ रहा है इसलिए वादी घोषणा के साथ स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वाद बखूबी प्रमाणित पाया जाने से वाद वादी के पक्ष में फरमाया जावें। वाद अनुसार वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा की डिक्री प्रदान की जावें। तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रदान की जावें कि आराजी संख्या 762/1 वर्तमान आराजी संख्या 399/5 रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे न अन्य से करावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता स्व. ठाकुर तख्तसिंह एवं माता श्रीमती गोविन्द कंवर के खातेदारी एवं कब्जे काशत की ग्राम पहुँना में स्थित आराजी रकबा 1303 बीघा 19 बिस्वा एवं 200 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित पुराने सिलिंग कानून के तहत प्रकरण संख्या 16/17 एस.डी.ओ. कपासन चला एवं निर्णय 05.04.1971 को हुआ तथा नवीन सिलिंग प्रकरण धारा 15(2) के तहत पुनः चला एवं आराजी संख्या 762/1 रकबा 476



बिघा 4 बिस्वा में से 9 व्यक्तियों को 13.12.63 को 235 बिघा भूमि के हस्तान्तरण के संबंध में पुनः कार्यवाही के आदेश पारित किये। तथा आराजी संख्या 762/1 में से 50 बीघा भूमि जिसके वर्तमान नम्बर 399/5 का नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम खुलवा लिया। विवादित कृषि भूमि सिलिंग से प्रभावित होने से विक्रय विलेख बेनामी होने से विधि विरुद्ध है तथा वादी के पिता द्वारा 13.12.63 को अवयस्क व्यक्ति के विरुद्ध बिना प्रतिफल विक्रय विलेख निष्पादित करने से विधि विरुद्ध है विक्रय को मान्यता नहीं देने से प्रतिवादी किसी प्रकार का हक प्राप्त नहीं होता है एवं नामान्तरण शून्य है। इसी प्रकार साबित आराजी संख्या 762/1 जिसके नये नम्बर 399/5 रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा का प्रतिवादी संख्या 1 को हक अधिकार नहीं होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी जो गलत है। जो आठ लाख रुपये में दिनांक 06.07.2007 को विक्रय की। वादी ने आराजी संख्या 399/5 रकबा 66 बीघा 13 बिस्वा से 12/13 हिस्से के भू-भाग को प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से वादी के अधिकारों को चुनौती दी है। घोषणा खातेदारी की अनुशंसा की है। वादी के उपरोक्त वाद पत्र के तथ्यों का प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन किया गया एवं जवाबदावा प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वाद वर्णित भू-भाग जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय मूल्य तादादी राशि 3000/- अक्षरे तीन हजार रुपये में क्रय करके कब्जा प्राप्त किया गया केवल नाबालिग होना ही बेनामी की कसौटी नहीं है तथा सह खातेदार चान्दी को भी पक्षकार नहीं बनाया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4 को भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हक अधिकार अन्तरित किये हैं। वर्तमान में भी प्रतिवादीगण शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे हैं वादी का किसी भी परिस्थिति में हक अधिकार नहीं बनता है। तनकी संख्या 1 के पक्ष में निवेदन किया कि सर्वप्रथम “बेनामी संव्यवहार” के संबंध में विधि की उपधारणा यह है कि “सम्पत्ति का मालिक वह है जो उसे क्रय करे, व्यक्ति जो अभिकथन करे कि अभिलिखित सम्पत्ति का स्वामी मालिक नहीं है वादी ही भार का निर्वहन करेगा। इसलिए जो वाद बिन्दु संख्या 1 कायम हुआ उसे वादी को साबित कराना रहा है। इस संबंध में आरआरटी 2005(1) पेज संख्या 65 विशिष्ट रूप से उल्लेखित है। वादी को मुख्य रूप से तनकी संख्या 1 को साबित कराने के लिए तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को साबित कराना था जो हैं कि 1 बेनामी संव्यवहार, 2 प्रतिफल रहित संव्यवहार एवं 3 कब्जा नहीं देना। बेनामी संव्यवहार के संबंध में



The Three circumnston which can be taken as the guide to the determine the nature of the Tranjection

- 1- The source from which the purchases money come.
- 2- The nature and passession of the property after purchases.
- 3- The co stadery of the Tittle deed after the ailguel Benamider.

उपरोक्त तीनो ही बिन्दुओं के सम्बन्ध में तनकी संख्या 1 वादी को साबित करानी थी किन्तु वादी पूर्ण रूप से असफल रहा है। वादी ने मूल दस्तावेज विक्रय पत्र 13.12.63 अपनी कस्टडी में नहीं होने से पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया तथा सर्वप्रथम तो वादी मूल पुरुष तख्तसिंह का जैविक पुत्र नहीं है वादी वर्ष 1975 के लगभग गोद आया जबकि तथाकथित विक्रय संव्यवहार वर्ष 1963 का है अतः प्रतिफल सहित अथवा रहित के संबंध में वादी स्वयं को स्पष्ट जानकारी नहीं हैं तथा न ही लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित करा पाया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी जिरह में यह (पेज सं. 2) पर कथन किया कि “ मैंने जमीन तीन हजार रूपये में क्रय की थी साढे 66 बीघा भूमि खरीदी यह एक ही खेत था पूरा मैंने खरीदा मैंने यह जमीन पैसे देकर खरीदी थी, बेनामी संव्यवहार नहीं था मेरे पिताजी ने पैसा दिया था। जबकि वादी से जब जिरह की गई तो स्वयं किशनसिंह ने बयान(जिरह) दिया कि “ विक्रय पत्र मेरे पास मौजूद नहीं होने से पत्रावली में पेश नहीं किया मूल विक्रय पत्र भैरुसिंह के पास हो तो भी मुझे मालूम नहीं है तथा जिरह के पेज संख्या 2 पर यह कथन किया कि “ मुझे उक्त विक्रय पत्र के निष्पादन के समय गोद नहीं लिया गया इसलिए मैं मौके पर मौजूद नहीं था।” 2 प्रतिफल के संबंध में निवेदन किया कि प्रतिवादी भैरुसिंह के बयान “ मैंने जमीन तीन हजार रूपये में खरीदी पैसा देकर जमीन ली पिताजी ने पैसा दिया। वादी किशनसिंह के बयान “ तख्तसिंह ने भैरुसिंह से 3000/- प्रतिफल विक्रय पेटे ली हो तो मुझे मालुम नहीं है। 3. कब्जा के संबंध में वादी ने अपने वाद पत्र में कहीं पर भी यह अभिकथन नहीं किया है कि उसने क्या फसले बाई जिरह के पेज संख्या 3 पर बयान दिया कि हमने काश्त भी की है। यह भी शब्द संशय पूर्ण है। 4. लगान रसीदे किशन सिंह ने बयान में कथन किया कि “ विवादित भूमि का लगान मेरे द्वारा जमा कराया जाता है मैंने उक्त पत्रावली में लगान की रसीदे पेश नहीं की है। क्योंकि पुरानी होने से नहीं मिली। जबकि प्रतिवादीगण की और से लगान की रसीदे पेश की गई जो रेकार्ड पर है। प्रतिपदर्श-1 से 12 है। कब्जे के संबंध में वादी की और से प्रस्तुत गवाह तुलसीराम के बयान भी वादी की मदद नहीं करते है जो कथन करता है कि “मैंने भैरुसिंहजी को खेती करते



हुए देखा उक्त विवादित जमीन पर” उपरोक्त आधार पर वादी के जिम्मे तनकी संख्या 1 रही किन्तु वादी उक्त तनकी साबित कराने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। तथा तनकी संख्या 2 कब्जे के संबंध में वादी के जिम्में रही किन्तु उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का किसी भी प्रकार से कब्जा होना प्रमाणित नहीं होता हैं वादी ने न तो फसलों का उल्लेख किया न ही लगान की रसीदे पेश की तथा वादी का गवाह तुलसीराम भी प्रतिवादी को काशत करते देखने का बयान देता है। अतः तनकी संख्या 2 भी वादी साबित कराने में असफल रहा है। तनकी संख्या 3 के पक्ष में निवेदन किया कि वादी जब पूर्ण विक्रेता तख्तसिंह के परिवार का सदस्य ही नहीं था तब रजिस्टर्ड विक्रय से प्रतिवादी संख्या 1 भैरुसिंह के पक्ष में भूमि अन्तरित हुई एवं कब्जा सिपुर्द किया एवं उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया एवं विधि सम्मत नामान्तरकरण हुआ वादी ने पंजीकृत विक्रय विलेख को अब तक निरस्त कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है तथा वादी तख्तसिंह के परिवार का सदस्य गोदपुत्र के रूप में विक्रय पत्र के निष्पादन के समय से करीब 12 वर्ष बाद सदस्य बना अतः उजर का अधिकार ही नहीं रहा है अतः तनकी नम्बर 3 नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विधि अनुसार खोला गया है अतः वादी तनकी संख्या 3 भी साबित कराने में असफल रहा है। एवं दस्तावेज प्रति प्रदर्श-8 है। तनकी संख्या 4 वादी ने उक्त तनकी को साबित कराने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर के प्रकरण का सहारा लिया है जिसमें न्यायालय ने अपने निर्णय के पेज संख्या 9 की कॉलम संख्या 1 सद्भावी काशतकार है, 2 पूर्व में इसके पास जमीन नहीं है। 3 भूमिहीन है। 4 साले का लडका है। 5 राशि अदा करने के संदेह है का कथन किया तथा पेज संख्या 11 में सही है। की टिप्पणी की है। उपरोक्त आधार पर विक्रय पत्र में संदेह प्रकट किया एवं मान्यता नहीं दी किन्तु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त नहीं किया एवं न ही निरस्त करने का क्षेत्राधिकार ही है जबकि उक्त एडीएम के प्रकरण में प्रतिवादी पक्षकार नहीं था न ही उसे सुना गया बल्कि वादी के पिता को संदेह से इसलिए देखा कि सिलिंग से बचने के लिए विक्रय पत्र लिखा होगा किन्तु उस समय भी तख्तसिंह ने न्यायालय में यह बचाव लिया कि उसने सही विक्रय पत्र लिखा एवं सिलिंग से बचने के लिए बेनामी संव्यवहार नहीं किया तथा प्रतिवादी उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं रहा तथा वादी के पिता को सिलिंग अवहेलना इस विक्रय पत्र से मान भी लिया जाता तो भी वादी के पिता की शेष आराजी रकबा जो 762/1 रकबा 476 बीघा 4 बिस्वा थी एवं उक्त विक्रय पत्र 66 बीघा के लगभग था तो शेष रकबा ही राजगामी होता अतः जब एडीएम न्यायालय में प्रतिवादी पक्षकार ही



नहीं रहा तो प्रतिवादी के खिलाफ फैसला हो ही नहीं सकता है। इसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से उदाहरण आरआरटी 2012(01) पेज 363 धारा 4 एवं धारा 96 सीपीसी से स्पष्ट होता है। अतः वादी अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ भी तय कराये किन्तु एडीएम के फैसले से प्रतिवादीगण प्रभावित नहीं होते हैं। वादी ने जो वाद पत्र प्रस्तुत किया है उसका आधार है “बेनामी संव्यवहार” वादी किस प्रकार खातेदारी चाहता है। बेनामी संव्यवहार जैसी कोई वस्तु प्रभाव में ही नहीं रही है ऐसी स्थिति में बेनामी संव्यवहार के आधार पर वादी खातेदारी अधिकार की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। न्यायालय एडीएम ने वादी को खातेदार नहीं बनाया है। एडीएम के फैसले के बाद ठिकानेदार को दीगर शेष भूमि से पूर्ति किये जाने के प्रावधान बनते हैं तथा बिना कब्जे के खातेदारी अधिकार का दावा चल ही नहीं सकता है। जबकि वादी स्वयं गोदपुत्र बनकर दावा लाया है तथा गोद से पूर्व का विक्रय पत्र है। अतः कोई बिनाय वाद उत्पन्न ही नहीं हुई। वादी पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट से धारा 34 एसआर एक्ट के तहत अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहा है। उपरोक्त आधार पर वादी के जिम्मे रहे सभी वाद बिन्दु वादी साबित कराने में असफल रहा है तथा प्रतिवादी एवं इसके गवाहान के बयान एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से खण्डित होते हैं। अतः वाद वादी खारीज किये जाने का आदेश फरमावें।

उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस शामिल पत्रावली हैं। दिनांक 13.03.2019 को उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई मजीद बहस को सुना गया। पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। सुनी गई बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, गवाह बयान के आधार पर पत्रावली का निर्णय निम्नानुसार तनकीवार किया जाता है।

**तनकी संख्या 1.** आयावादी के पिता तख्तसिंह द्वारा प्रतिवादी-1 को पहुँना की भूमि आराजी संख्या 762/1 में से 50 बीघा भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 13.12.1963 द्वारा बेनामी तौर पर बिना प्रतिफल लिये बिना कब्जा दिये विक्रय किया गया।

इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर यह वादी को साबित कराई जानी थी। मौजा पहुँना पटवार हल्का पहुँना तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 399/5 रकबा 66-13 बीघा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 के नाम पर 12/13 हक हिस्से से अभिलिखत है जिसकी ताईद प्रदर्श-5 से होती



है। विवादित आराजीयात का शेष 1/13 हिस्सा चाँदी बेवा डालु कीर के नाम पर दर्ज अभिलिखत है जिसकी ताईद प्रदर्श-5 से होती है। उक्त विवादित आराजीयात आराजी संख्या 399/5 रकबा 66-13 बीघा साबिक आराजी संख्या 762/1 से भूप्रबंध के बाद बनी है इसकी ताईद प्रदर्श-7 से होती है उक्त विवादित आराजीयात निर्विवाद रूप से मृतक खातेदार तख्तसिंह पिता मदनसिंह राजपूत के नाम पर दर्ज अभिलिखित रहीं हैं। उक्त विवादित आराजीयात विक्रय पत्र दिनांक 13.12.1963 से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज अभिलेख की गई है जो कि उभयपक्ष द्वारा स्वीकार्य तथ्य हैं। किन्तु उक्त विक्रय पत्र उभयपक्ष द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि रिकार्ड से जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात आराजी संख्या 762/1 में से 50 बीघा भूमि का हस्तान्तरण पंजीकृत विलेख दिनांक 13.12.1963 द्वारा मृतक खातेदार तख्तसिंह पिता मदनसिंह राजपूत द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 भैरुसिंह पिता दातारसिंह के पक्ष में करना उभयपक्ष द्वारा स्वीकार्य होने से ग्रहण किया जाता है। वादी द्वारा वाद पत्र में उक्त विक्रय पत्र दिनांक 13.12.1963 को बेनामी संव्यवहार एवं बिना प्रतिफल के होने का कथन किया गया है। बेनामी संव्यवहार(प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के प्रावधानानुसार बेनामी संव्यवहार की परिभाषा से “बेनामी संव्यवहार” से ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है जिसमें किसी व्यक्ति को सम्पत्ति का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदत्त या उपलब्ध कराए गए प्रतिफल के लिए किया जाता है।’ परिभाषित किया गया है। वादी जो कि स्वयं मृतक खातेदार का गोदपुत्र विक्रय पत्र दिनांक 13.12.1963 के लगभग 12 वर्ष बाद बना है जिसे वादी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र दिनांक 13.12.1963 के प्रतिफल के संबंध में जानकारी होना या ना होना संदेह प्रद हैं जहाँ तक कब्जे का प्रश्न है वादी के गवाहान द्वारा भी अपने बयानों के स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 भैरुसिंह का विवादित आराजीयात पर कब्जा रहा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लगान की रसीदे प्रस्तुत की गई है जो कि प्रतिप्रदर्श-1 से प्रतिप्रदर्श-12 है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा होना ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। पत्रावली पर इस संबंध में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 13.12.1963 बिना प्रतिफल के हुआ है यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। वादी इस तथ्य को अपने ठोस दस्तोवजी साक्ष्य से साबित कराने में असफल रहा है। केवल मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य स्वीकार्य योग्य नहीं है कि विक्रय पत्र दिनांक 13.12.1963 बिना प्रतिफल के किया गया है। जहाँ तक कब्जे का प्रश्न है, वादी एवं वादी गवाहान द्वारा भी अपने बयानों में प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा होना स्वीकार किया



है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 13.12.1963 के पश्चात् कब्जा होना स्वीकार किये जाने योग्य तथ्य हैं। उक्त विश्लेषण से यह तनकी संख्या 1 वादी साबित कराने में असफल रहा है, अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध पक्ष प्रतिवादी के निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 2.** आया वर्णित भूमि पर सदैव से ही वादी के पिता व उनके बाद वादी का कब्जा चला आ रहा है, एवं प्रतिवादी पक्ष का कभी कब्जा नहीं हुआ।

इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर यह वादी को साबित कराई जानी थी। तनकी संख्या 1 के विश्लेषण में विश्लेषित किया गया है कि विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा रहा है। तथा विक्रय के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का है। इस तथ्य की ताईद प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज लगान रसीदे जो कि प्रतिप्रदर्श-1 से 12 तक है से होती है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, गवाह साक्ष्य से यह तनकी वादी साबित कराने में असफल रहा है, अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध पक्ष प्रतिवादी के निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 3.** आया विक्रय विलेख के आधार पर प्रति-1 ने नामान्तरकरण खुलवाया जो विधि विरुद्ध होकर निरस्तनीय है।

इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर यह वादी को साबित कराई जानी थी। चूंकि तनकी संख्या 1 वादी के जिम्मे होकर वादी को साबित कराई जानी थी एवं तनकी संख्या 1 वादी के विरुद्ध पक्ष प्रतिवादी के निर्णित की गई ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय विलेख के आधार पर निर्णित नामान्तरकरण विधि विरुद्ध होना साबित नहीं किया गया है इस कारण से उक्त नामान्तरकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, गवाह साक्ष्य से यह तनकी वादी साबित कराने में असफल रहा है, अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध पक्ष प्रतिवादी के निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 4.** आया अति० कलेक्टर ने सिलिंग प्रकरण संख्या 8/85 पर पारित निर्णय दिनांक 13.12.63 में विक्रय विलेख को सिलिंग कार्यवाही से बचने के लिये किया जाना मानते हुए



इसे मान्यता प्रदान नहीं की इसलिये इसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण अवैध है एवं विक्रय विलेख बेनामी है।

इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर यह वादी को साबित कराई जानी थी। चूंकि तनकी संख्या 1, 2 एवं 3 वादी के खिलाफ निर्णित की गई है एवं पक्ष प्रतिवादीगण निर्णित की गई है। जहाँ तक न्यायालय एडीएम के निर्णय का प्रश्न है उक्त निर्णय के संबंध में वादी द्वारा वर्तमान स्थिति के संबंध में स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है मात्र मौखिक कथन किया गया कि उक्त प्रकरण की अपील की गई एवं वर्तमान स्थिति के अवगत नहीं कराया गया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है ऐसी स्थिति में न्यायालय एडीएम के निर्णय के संबंध में किसी भी प्रकार का विवेचन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में यह तनकी वादी साबित कराने में असफल रहा है, अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध पक्ष प्रतिवादी के निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 5.** आया प्रतिवादी 1 द्वारा प्रतिवादी 2, 3, 4 को भूमि बेच दी गई और आया यह विक्रय विलेख भी कानूनन शून्य है।

इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर यह वादी को साबित कराई जानी थी। चूंकि तनकी संख्या 1, 2, 3 वादी के जिम्मे होकर वादी को साबित कराई जानी थी एवं तनकी संख्या 1, 2, 3 वादी के विरुद्ध निर्णित की गई एवं पक्ष प्रतिवादीगण के निर्णित की गई ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 06.7.2007 के संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह तनकी वादी साबित कराने में असफल रहा है, अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध पक्ष प्रतिवादी के निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 6.** आया वादी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर होकर यह वादी को साबित कराई जानी थी। चूंकि वादी के पक्ष में घोषणा के संबंध की तनकी संख्या 1, 2, 3 वादी साबित कराये जाने में असफल रहा है एवं तनकी संख्या 1, 2, 3 वादी के विरुद्ध पक्ष प्रतिवादीगण के निर्णित की गई ऐसी स्थिति में स्थाई निषेधाज्ञा की तनकी पक्ष वादी



विरुद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।  
ऐसी स्थिति में इस तनकी को भी वादी के विरुद्ध पक्ष प्रतिवादी के निर्णित की जाती है।

**अनुतोष :-**

वादी के जिम्मे की तनकी संख्या 1 से 6 तक वादी के विरुद्ध निर्णित की गई है ऐसी स्थिति में वादी अपना वाद पत्र साबित कराये जाने में असफल रहा है अतः वादी को किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से वादी अपना वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 ठोस दस्तावेजी साक्ष्य व विधिक प्रावधानों से साबित कराने में असफल रहा है अतः वादी का वाद सारहीन होने से खारीज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक को 27.05.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कपूर शंकर मान)  
सहायक कलक्टर,  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

### अनवान

किशनसिंह गोद पुत्र तख्तसिंह राजपूत आयु वयस्क 32 वर्ष निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

वादी

### बनाम

1. श्री भैरुसिंह पिता दातारसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी पहुँना तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
2. श्री समरजीतसिंह मलिक पिता सुखबीरसिंह मलिक निवासी सहबिलबिलान तहसील गोठाना जिला सोनीपत (हरियाणा)
3. श्री अमरजीतसिंह मलिक पिता सुखबीरसिंह मलिक निवासी सहबिलबिलान तहसील गोठाना जिला सोनीपत (हरियाणा)
4. श्री जयप्रकाशसिंह मलिक पिता सुखबीरसिंह मलिक आयु वयस्क निवासी सहबिलबिलान तहसील गोठाना जिला सोनीपत (हरियाणा)
5. तहसीलदार साहब तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण

--: अन्तर्गत धारा 88, 188 बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा रा0टि0एक्ट :-

प्रकरण संख्या :- 076/2010

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन शर्मा और प्रतिवादी की ओर अधिवक्ता श्री विनोद आचार्य की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 27.05.2019 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी अपना वाद ठोस दस्तावेजी साक्ष्य व विधिक प्रावधानों से साबित कराने में असफल रहा है अतः वादी का वाद सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह आज दिनांक 27.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(कपूर शंकर मान)  
सहायक कलक्टर,  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

### वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
वादपत्र के लिए स्टाम्प	2	0	शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	1	-
शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	0	0	अर्जी के लिये स्टाम्प	-	-
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	32	0	प्लीडर की फीस	-	-
..... रुपये पर प्लीडर की फीस	-	-	साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-	-
साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-	-	आदेशिका की तामील	-	-
कमिश्नर की फीस	-	-			
आदेशिका की तामील	4	0			
जोड़	38	0	जोड़	1	0

